IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, July 2026
Impact Factor: 8.2

# हरियाणा के रोहतक जिले में महिला सशक्तिकरण पर राजनीतिक भागीदारी का प्रभाव

**Saroj Rani[1] and Dr. Nisha Kumari[2]**
Junior Research Fellow, Political Science Department
Assistant Professor, Political Science Department
Baba Mastnath University, Asthal Bohar, Rohtak, Haryana
sarojranibbsm@gmail.com and drnishuku@gmail.com

**सारः** प्रस्तुत लेख में हरियाणा राज्य के रोहतक जिले में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के प्रभावों का वर्णन किया गया है। हरियाणा राज्य में पुरुष प्रधानता का दबदबा होने के बावजूद महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिलती हैं। यहां पर प्रोक्सी सरपंच की संस्कृति भी दिखाई देती हैं। लेकिन पंचायती चुनावों में 50% आरक्षण की व्यवस्था ने अपना सकारात्मक रूप दिखाया है। जिससे बड़ी संख्या में महिलाएं राजनीतिक क्षेत्र में आगे आ रही हैं ओर उनके सामाजिक-आर्थिक और निर्णय-निर्माण क्षमता का विकास निरंतर हो रहा है।

**मुख्य शब्दः** राजनीतिक क्षेत्र, भागीदारी, निर्णय-निर्माण, सशक्तिकरण।

**प्रस्तावनाः**

नारी के विकास के बिना समाज का विकास अधूरा है स्त्री का संसार के निर्माण में महत्तवपूर्ण योगदान रहा है। इसी कारण से नारी को उपासना का स्रोत माना गया है। नारी वर्ग को सशक्त करना आज के समय की सबसे बड़ी मांग व मुद्दा बना हुआ है। राष्ट्र में आधी जनसंख्या के रूप में नारी वर्ग का अस्तित्व है। लेकिन उनके पास समानता और सम्मान का पूर्ण व वास्तविक अधिकार का अस्तित्व नहीं है। हां, यह सत्य है कि महिलाओं की स्थिति व दशा में समय के साथ परिवर्तन आए हैं। आजादी के पश्चात महिलाओं की स्थिति में सुधार व उत्थान करने के लिए किए गए प्रयासों में सकारात्मक परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं। संविधान के लागू होने के समय से ही नारी को सभी तरह के समान अधिकार दिए गए हैं। लेकिन राजनीतिक अधिकारों को मात्र लिखने देने से नहीं बल्कि धरातल रूप से लागू करने में अभी ओर समय लगेगा। शनैः-शनैः नारी वर्ग ने राजनीतिक क्षेत्र में अपनी रुचि दिखानी आरम्भ की लेकिन फिर भी संतोषजनक परिणाम अभी प्राप्त नहीं हुए हैं। यहां भी

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, July 2026
Impact Factor: 8.2

सामाजिक परंपराओं, रीति-रिवाजों, अनेकों धार्मिक बंधनों ने महिलाओं को वास्तविक रूप से आगे बढ़ने से रोका है। इसका मुख्य उदाहरण सरपंच पति वाली परंपरा जोकि राजनीतिक क्षेत्र में प्रायः देखने को मिलती है। यानी कि यहां भी पितृसत्तात्मक व्यवस्था ने अपना रंग दिखाया और महिलाओं के सरपंच के नाम के सारे वास्तविक कार्य पति के द्वारा किए गए जाते हैं। 1993-94 में हुए संविधान 73वें 74वें संविधान संशोधन ने राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का कार्य किया। महिला वर्ग को सशक्त करने के उद्देश्य से ही नौवीं पंचवर्षीय योजना में इससे संबंधित नीतियों को शामिल किया गया था। वैसे तो राजनीतिक क्षेत्र में हमेशा से ही पुरुष वर्ग का वर्चस्व रहा है। सरकारी नीतियों व प्रयासों के कारण महिलाओं में अपने अधिकारों को लेकर आई जागरूकता के कारण अब इस पुरूष प्रधान क्षेत्र में महिलाओं ने अपनी सराहनीय भूमिका निभाई है और आगे भी निभा रही है जैसे कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, आनंदीबेन पटेल, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, जय ललिता, सुषमा स्वराज, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, यू.पी. की मायावती, पूर्व स्पीकर मीरा कुमार तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसके उदाहरण है।

**महिला सशक्तिकरण का परिचयः**

भारत सरकार के द्वारा नारी के संपूर्ण विकास को ध्यान में रखते हुए 20 मार्च 2001 को महिला वर्ष घोषित किया गया था। महिला वर्ग को पूर्ण रूप से सशक्त करने के लिए सबसे पहले सामाजिक मानसिकता को बदलना होगा जिसमें बचपन से ही महिलाओं को भेदभाव का सामना करना पड़ता है। हमारी पारिवारिक सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक परंपराएं, मूल्य, रीति-रिवाज सब में महिलाओं को और पुरुषों को अलग नजरिए से देखा जाता है। इस नजरिए में बदलाव लाना आवश्यक हो जाता है। जब तक इस संकीर्ण मानसिकता में बदलाव नहीं होगा, तब तक नारी सशक्तिकरण की नीति को सार्थक नहीं बनाया जा सकता। भारतीय परिवारों में पारिवारिक पालन-पोषण में भेदभाव, महिला शिक्षा, बाहर आने जाने पर इस तरह की रोक-टोक देखी जाती है।

**महिलाओं का राजनीतिक इतिहासः**

**राजनीतिक अधिकारः** राजनीतिक अधिकार से अभिप्राय उन अधिकारों से हैं जो मनुष्य के राजनीतिक व्यक्तित्व के विकास के लिए जरूरी हैं। जिससे सभी लोग बिना किसी भेदभाव के राजनीतिक गतिविधियों में

भाग ले सकते हैं जैसे कि वोट का अधिकार, निर्वाचित होने का, सार्वजनिक पद ग्रहण करने का और आवेदन पत्र तथा सम्मति देने का अधिकार।

जैसा कि विदित है कि समाज में महिलाओं की स्थिति हमेशा से एक समान नहीं रही। इसमें समय के साथ-साथ बदलाव आया है जो कि वर्तमान समय में परिलक्षित हो रहा है। ऋग्वैदिक युग में महिलाओं को सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। लेकिन उत्तर वैदिक काल के पश्चात उनकी स्थिति, सम्मान व प्रतिष्ठा में गिरावट आने लगी। मध्यकाल में तो महिलाओं की स्थिति ओर भी दयनीय हो चुकी थी। यद्यपि अंग्रेजी शासन काल में भी उनकी स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन उस समय समाज सुधारकों के द्वारा महिला सुधार कार्य शुरू कर दिया गया था। नारी वर्ग को स्वतंत्रता की लड़ाई में आगे आने को प्रेरित किया गया और यह प्रेरणा सफल भी हुई। उस समय की प्रमुख रूप से राजनीतिक क्षेत्र में आने वाली महिलाओं में अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित तथा ललिता शास्त्री आदि शामिल थी। स्वतंत्रता के पश्चात राजनीतिक क्षेत्र में आने वाली प्रमुख नारियों में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, आनंदीबेन पटेल, पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, जय ललिता, सुषमा स्वराज, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, यू.पी. की मायावती, पूर्व स्पीकर मीरा कुमार तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हैं।

लेकिन राजनीतिक क्षेत्र में अपना दबदबा बनाने वाली स्त्रियां साधारण परिवार से नहीं बल्कि उच्च वर्ग से संबंध रखने वाली थी। महिलाओं को अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने और उनको इस क्षेत्र में कार्य करने को प्रेरित करने में उस समय समाज सुधार के रूप में कार्य कर रहे स्वैच्छिक संस्थाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बहुत सारे महिला सुधार संगठनों का उद्भव भी उस समयकाल में हुआ है। जिससे महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखना व नेतृत्व संभालने का अवसर मिला। महात्मा गांधी के नेतृत्व में चला 1917 में चंपारण आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन, नमक आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। प्रमुख समाज सुधारकों में राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, रविंद्र नाथ टैगोर आदि का नाम उल्लेखनीय हैं।

**देश की आजादी के बाद हुए चुनावों में महिलाओं की भागीदारी:**

लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को भागीदार बनने के लक्ष्य से 33% आरक्षण देने के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाया गया है, लेकिन अभी भी वह संसद में पारित नहीं हुआ यह एक चिंता का विषय है कि आजादी के 76वर्षों के बाद भी महिलाओं को संसद में प्रवेश के लिए इंतजार करना पड़ रहा है। महिलाओं की

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, July 2026 Impact Factor: 8.2

स्थिति को जानने के लिए तत्कालीन सरकार के द्वारा 22 सितंबर 1971 में एक समिति का गठन किया गया था। जिसका शीर्षक टुवर्ड्स इक्वलिटी 1974 में प्रकाशित समिति की रिपोर्ट में यह सामने आया था कि संस्थागत तौर पर सबसे बड़ी अल्पसंख्यक होने के बावजूद राजनीति पर महिलाओं का असर नाममात्र है।[1] वर्ष 2024 के चुनावों में निर्वाचित महिला सदस्यों की संख्या सोचनीय रही। जहां चुनावों में भाग लेने वाली कुल संख्या 797 थी। वहीं जीतने वाले आंकड़े और भी चौकाने वाले थे। निर्वाचित होने वाली प्रत्याशियों की संख्या केवल 74 रही है। परिणामस्वरूप लोकसभा के 543 सदस्यों में से केवल 13.6% महिला प्रत्याशी अपनी जीत दर्ज करा सकी। जो की 33 प्रतिशत से भी काफी कम है। 2019 के चुनाव की बात करें तो लोकसभा चुनाव में 726 महिलाओं ने चुनाव में भाग लिया था लेकिन उनमें से निर्वाचित महिलाओं की संख्या सिर्फ 78 थी। लोकसभा के सदस्यों में इनका प्रतिशत 14.3% था। देश की आधी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करने के बावजूद भी महिलाओं का संसद में इतना कम आंकड़ा होना एक चिंताजनक बात है। महिलाओं के राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में भारत अभी भी कई देशों से काफी पीछे हैं। साथ ही यदि स्थानीय स्तर की बात करें तो 1993 में स्थानीय स्तर पर महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था कर महिलाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया गया था। निचले स्तर के तीनों स्तरों पर स्त्रियों के लिए 33प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था करने के साथ-साथ इस व्यवस्था को सतही तौर पर प्रभावशाली बनाने का कार्य भी सरकार व समाज के लोगों के द्वारा मिलकर किया जाना चाहिए। उन्हें निर्वाचित होने की आजादी के साथ-साथ उन्हें सतही तौर पर कार्य करने की स्वतंत्रता हमेशा से समाज व परिवार में पनप रही पित्रसत्तात्मक संरचना को त्याग कर प्रदान की जानी चाहिए। इसी तरह से राजनीतिक क्षेत्र में उनके कदमों को सफलता पूर्णतः मिल पाएगी। वरना समाज में स्त्रियों के अधिकारों को आसानी से ताक पर रखकर उनका उल्लंघन खुले तौर पर होता रहा है। पंचायती राज संस्थाओं में महिला वर्ग की भागीदारी को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण प्रयास किया गया है लेकिन कुछ सवाल अभी भी उठ रहे हैं जैसे कि क्या महिला वास्तव में राजनीतिक कार्यों में संलग्न है? क्या उनकी राजनीतिक व कानूनी प्रक्रिया और स्वयं कार्यों के निर्वहन में रुचि बढ़ रही है? या फिर सरपंच पति की प्रथा में वृद्धि हो रही है?

**साहित्य समीक्षाः**

राजनीति में महिलाओं की भागीदारी पर पहले से काफी रचनात्मक लेखन कार्य हुआ है जिनमें से प्रमुख विद्वानों की विवेचनाएं निम्नलिखित है-

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, July 2026 Impact Factor: 8.2

बिहारी(2005) ने अपनी पुस्तक महिला जागृति और सशक्तिकरण में बताया है कि महिलाओं की स्थिति सदैव एक समान नहीं रही है। उन्हें सभी प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए है। फिर भी उनके अधिकारों का उल्लंघन होता है। राजनीति के क्षेत्र में उनके लिए आरक्षण प्रदान कर उनको मुख्य धारा में जोड़ने की कोशिश की गई है, लेकिन अभी भी कोशिश अधूरी है। महिलाओं की भागीदारिता बढ़ाने के लिए सबसे पहले शिक्षा स्तर पर कार्य करना चाहिए।

वाशिष्ठ(2016) महिला सशक्तिकरण में उल्लेख किया है कि सही मायने में महिला सशक्तिकरण तभी होगा जब महिलाओं को लेकर समाज में मानसिकता में बदलाव आएगा और उनके विरूधद् हो रहे सभी प्रकार के अत्याचारों व शोषणों पर पूर्णतया रोक लगे। महिलाओं को नीति-निर्माण जैसे कार्यों में आगे रखा जाए और महिला अधिकार वास्तव में महिलाओं तक पहुंचे।

योजना(2012) स्त्री सशक्तिकरण में महिला अधिकारों पर बात की गई है। महिला व पुरुष के गिरते अनुपात पर चर्चा की गई है। महिला सशक्तिकरण के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक व आर्थिक रूप से सशक्त बनाया जाए। महिलाओं के साथ हो रहे अपराध और उन अपराधियों का हो रहा राजनीतिककरण एक गंभीर विषय है।

कुलश्रेष्ठ(2001) पंचायती राज और महिलाएं में बताती है कि स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं को आरक्षण प्रदान कर एक सराहनीय कार्य सरकार द्वारा किया गया। जिससे महिलाओं के संपूर्ण विकास में मदद मिलेगी और साथ ही महिला पुरुष के बीच जो असमानता की खाई है, उसे भी इस समाप्त करने में मदद मिलेगी।

**उद्देश्यः**

रोहतक जिले के संदर्भ में महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी का पता लगाना।

राजनीतिक भागीदारिता से महिलाओं के जीवन में आए प्रभावों का पता लगाना।

महिलाओं के राजनीतिक भागीदारी के मार्ग में आने वाली प्रमुख बाधाओं का पता लगाना।

**शोध विधि**

तथ्यों व आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए प्रमुख रूप से द्वितीय स्रोतों का प्रयोग किया गया है। इसमें विभिन्न पुस्तकों व पत्रिकाओं का सहारा लिया गया है। अध्ययन में वर्णनात्मक विधि का प्रयोग किया गया है।

**रोहतक जिले की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि-**

**अवस्थिति-** हरियाणा के जिलों में से रोहतक जिले का इतिहास प्राचीन व समृद्ध रहा है। दिल्ली से इसकी अवस्थिती 70किलामीटर की है। हरियाणा का यह जिला शिक्षा की नगरी के नाम से जाना जाता है। रोहतक पांच जिलों से घिरा हुआ है उत्तर में जींद, पूर्व में सोनीपत, पश्चिम में भिवानी, दक्षिण में झज्जर उत्तर पश्चिम में हिसार और दक्षिण पश्चिम में बहादुरगढ़ है।

**ऐतिहासिक पृष्ठभूमि**

ऐतिहासिक रूप से रोहतक जिले की स्थिति की चर्चा करें तो पहले रोहतक को रोहतासगढ़ के नाम से जाना जाता था जिसकी स्थापना रोहतास नामक राजा के द्वारा की गई थी। रोहतक जिले का वर्णन महाभारत में भी किया गया है। महाभारत में इसका नाम रोहितिका था। उस समय यह यौधय गणराज्य की राजधानी था। मध्यकाल में इसको दिल्ली सूबे का हिस्सा बनाया गया था। ब्रिटिश काल में रोहतक का गोहाना, बेरी और भिवानी को मिलाकर गठन किया गया था। आधुनिक रोहतक 1 नवंबर 1966 में हरियाणा राज्य की स्थापना के समय से ही है। वर्तमान समय में रोहतक को एक औधोगिक, व्यापारिक एवं शैक्षणिक जिले के रूप में जाना जाता है।

**कृषि-** यहां पर प्रमुख रूप से अनाज और कपास की खेती की जाती है।

**शिक्षा-** शिक्षा के क्षेत्र की बात की जाए तो रोहतक जिले में महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय स्थापित है। इसके अलावा जाट हीरो ममोरियल कॉलेज रोहतक, जी. बी. आयुर्वैदिक कॉलेज, आई.सी कॉलेज, वैश कॉलेज ऑफ़ इंजीनियरिंग और गौड़ ब्राह्मण डिग्री कॉलेज, मस्तनाथ महाविद्यालय तथा पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य विश्वविद्यालय चिकित्सा के क्षेत्र में श्रेष्ठ संस्थान है।

**जनसंख्या-** रोहतक जिले की जनसंख्या 373,133 है। स्त्री और पुरुष अनुपात की बात करें तो एक हजार पुरूषों पर 946 महिलाएं हैं।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429
Volume 6, Issue 1, July 2026
Impact Factor: 8.2

### तालिका 1 हरियाणा एवं रोहतक में महिला प्रतिनिधित्व का विवरण

| क्रमांक | राजनीतिक स्तर | हरियाणा की स्थिति | रोहतक जिला की स्थिति |
|---|---|---|---|
| 1 | पंचायत चुनावों में महिला आरक्षण | पंचायतों में 50% आरक्षण लागू | बड़ी संख्या में महिलाएँ सरपंच एवं पंच निर्वाचित |
| 2 | पंचायत चुनाव मतदान प्रतिशत (2022) | लगभग70–80% मतदान | लगभग 66.4% मतदान |
| 3 | महिला उम्मीदवारों की भागीदारी | निरंतर वृद्धि | पंचायत एवं जिला परिषद स्तर पर उल्लेखनीय भागीदारी |
| 4 | विधानसभा में महिला प्रतिनिधित्व | 2024 में 13 महिला विधायक निर्वाचित | रोहतक क्षेत्र में महिला राजनीतिक सक्रियता बढ़ी |
| 5 | राजनीतिक जागरूकता | शहरी क्षेत्रों में अधिक | ग्रामीण क्षेत्रों में धीरे-धीरे वृद्धि |
| 6 | प्रॉक्सी नेतृत्व (Proxy Leadership) | कई जिलों में समस्या | ग्रामीण क्षेत्रों में "सरपंच पति" प्रवृत्ति देखी गई |
| 7 | महिला नेतृत्व विकास | पंचायत स्तर पर बढ़ोतरी | कई महिलाएँ पंचायत प्रतिनिधि बनीं |
| 8 | सामाजिक प्रभाव | महिला सशक्तिकरण में सुधार | शिक्षा, स्वच्छता एवं जागरूकता में सकारात्मक परिवर्तन |

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग(2022), पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव प्रतिवेदन।

उपर्युक्त तालिका से यह स्पष्ट होता है कि हरियाणा तथा रोहतक जिला में राजनीति क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी में पिछले वर्षों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। पंचायती संस्थाओं में 50% आरक्षण की नीति ने महिलाओं को राजनीतिक मंच दिया है, जिससे उनकी निर्णय-निर्माण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है।

इन सभी प्रयासों के बावजूद, " राजनीति के क्षेत्र में प्रॉक्सी नेतृत्व" जैसी समस्याएँ अभी भी विद्यमान हैं, इस नेतृत्व में निर्वाचित पद पर महिला प्रतिनिधियों के नाम पर परिवार के पुरुष सदस्यों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। इन सब समस्याओं के बावजूद महिलाओं की राजनीतिक सक्रियता व भागीदारी ने सामाजिक-आर्थिक जागरूकता, शिक्षा तथा आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया है।

रोहतक जिले में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी ने उनके समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इससे महिलाओं की सामाजिक स्थिति, नेतृत्व और निर्णय-निर्माण क्षमता का विकास हुआ हैं।

Copyright to IJARSCT

**राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं का महत्वः** राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को शासन में भागीदार बनाने के उद्देश्य से उन्हें आरक्षण प्रदान कर उनके विकास की प्रक्रिया में वृद्धि की है। वर्ष 1995 से शुरू हुई महिलाओं की राजनीतिक यात्रा के पश्चात 10 लाख से अधिक महिलाएं पंचायती संस्थानों में निर्वाचित होकर अपनी सक्रिय सहभागिता निभा रही है। यह महिला सशक्तिकरण का एक सकारात्मक पहलू है। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी को देखते हुए बहुत से राज्यों के द्वारा जैसे केरल, राजस्थान, बिहार व हरियाणा ने महिला आरक्षण को 33% से 50% कर दिया है। लेकिन जब तक वास्तिवक अर्थों में नारी की राजनीतिक सक्रियता नहीं बढ़गी, तब तक पूर्ण रूप से महिला सशक्तिकरण नहीं हो सकता। सरकारी व गैर-सरकारी संस्थाओं के द्वारा किए गए प्रयासों से महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि हुई है। उनके विचारों और मंथन में परिवर्तन आया है। राजनीतिक क्षेत्र में प्राप्त आरक्षण की वजह से महिलाएं घर की चारदिवारी में सीमित न रहकर घर से बाहर के कार्यों को करने और राजनीति जैसे क्षेत्र में कदम रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। जिससे महिलाओं में कार्य करने की समझदारी और देश दुनिया की जानकारी प्राप्त हो रही है। जिसे उनके मान-सम्मान, आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हुई है। स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी के कारण महिलाओं से संबंधित मुद्दों में सुधार हुआ है। महिलाओं के द्वारा इस तरह के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है।

**राजनीतिक क्षेत्र में आने वाली रुकावटेः**

**संस्थागत और संरचनात्मकः** पुरूष प्रधान सामाजिक संरचना के कारण राजनीतिक दलों में पुरुष वर्ग का दबदबा हमेशा से बना हुआ है। जिस वजह से महिला वर्ग को टिकट मिलने की संभावना भी कम हो जाती है, क्योंकि पार्टी को जीत की संभावना मुख्य लगती है और पुरुष वर्ग में ही सीटों के आवंटन को प्रमुखता दी जाती है।

**सरपंच पति व्यवस्थाः** सरपंच पति व्यवस्था में निर्वाचित महिला के पति या फिर सक्रिय परिवारजनों द्वारा निर्णय लिए जाते हें। इस व्यवस्था में निर्वाचित महिला बैठकों में सक्रिय रूप से भागीदार नहीं होती। अधिकांश तो बैठकों तक जाती भी नहीं और जो जाती हैं तो वे अकेले न जाकर परिवारजनों के साथ जाती हैं और वहां जाकर वे एक कठपुतली का कार्य करती है। महिला आरक्षण का पूर्ण अर्थ तभी सफल हो सकता है, जब निर्वाचित पद पर बैठी महिला औपचारिक रूप से बैठकों में भाग लें और स्वयं निर्णय लेने में सक्षम हो, तभी पंचायती राज संशोधन सार्थक बन पाएगा। उनको तो यहां तक निर्णय लेने का अधिकार नहीं है कि वे चुनाव में अपना नामांकन भरे या नहीं ये फैसले घर के पुरूष सदस्यों द्वारा ही लिए जाते हैं। पितृसत्तात्मक

व्यवस्था की विचारधारा यह है कि महिलाओं का राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है, यह तो सरकार के द्वारा महिलओं के उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर दी है तो स्त्रियों को आगे लाना उनकी मजबूरी है। लेकिन फिर भी वास्तविक कार्यों का निर्वहन तो पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है। इसी संकीर्ण मानसिकता के कारण महिलाएं राजनीति में सक्रिय रूप से भागीदारी नहीं कर पा रही हैं।

**आर्थिक बाधाः** राजनीतिक क्षेत्र में कदम रखने से पहले पूंजीपति होना आवश्यक हो जाता है जो की महिलाओं के लिए प्रमुख समस्या है । उनका वित्तीय नेटवर्क इतना मजबूत नहीं होता है।

**सामाजिक संरचनाः** भारतीय समाज सदा से ही दो वर्गों में विभाजित है। पुरूष और महिला वर्ग और इसी तरह से उनके कार्य का विभाजन हो रखा है। महिला के हिस्से में अवैतनिक कार्य और घर की जिम्मेदारियां आती है, जिसके कारणवश उनके घर से बाहर के कार्यों में भागीदारी सीमित हो जाती है। इसका उदाहरण राजनीतिक क्षेत्र में प्रोक्सी प्रतिनिधित्व के रूप में या फिर सरपंच पति के रूप में देखा जा सकता है।

**प्रतिकूल राजनीतिक वातावरणः** राजनीति का अपराधीकरण या फिर अपराधियों का राजनीतिकरण एक प्रमुख बाधा है। राजनीति क्षेत्र की छवि को खराब ही माना जाता है और इससे महिलाओं के लिए तो बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं माना गया है। इसी छवी के कारण महिलाओं को यदि पदों पर निर्वाचित कर भी दिया जाता है तो उनको राजनीति के कार्यक्षेत्र में वास्तविक रूप से उतरने नहीं दिया जाता और उनकी जगह पर प्रोक्सी प्रतिनिधि ही कार्य करता है।

**क्षमता और नेतृत्वः** अक्सर यह मान लिया जाता है कि महिलाओं में नेतृत्व व कार्य शक्ति का अभाव पाया जाता है। समाज के लोंगों का मानना है कि राजनीति की राह कठिन है जो कि महिलाओं की समझ से परे है।

**राजनीतिक क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किए गए प्रयासः**

**नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 :** इस अधिनियम के तहत महिलाओं को 33% सीटें संसद में आरक्षित करने का प्रावधान है। हालांकि यह अधिनियम 2019 में भी पारित नहीं हुआ था और वर्तमान समय में भी पारित नहीं हुआ है।

**73वां व 74वां संविधान संशोधनः** स्थानीय स्तर पर 73वें व 74वें संविधान संशोधन से महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में एक तिहाई सीटों का आवंटन किया गया है। इस तरह की व्यवस्था महिलाओं के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही है। जिससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ रहा है और वह आगे बढ़कर चुनावी कार्यों में हिस्सा भी ले रही हैं। महिलाओं के राजनीति में आने से महिलाओं से संबंधित मुद्दों का विकास आसानी से आगे बढ़ सकता है। जैसे गरीबी, असमानता, जेंडर भेदभाव, नशाखोरी, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा घरेलू हिंसा।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, July 2026 Impact Factor: 8.2

**संविधान में महिलाओं के अधिकार और उनकी भागीदारी की प्रावधानः**

स्वतंत्रता के बाद लागू हुए संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, कर्तव्यों तथा राज्यों के नीति निर्देशक तत्वों में जेंडर समानता का वर्णन किया गया है। संविधान में महिलाओं को पुरुषों के समान माना ही नहीं गया है, बल्कि उन्हें समान अधिकार भी प्रदान किए गए हैं। साथ ही महिलाओं के उत्थान के लिए समय-समय पर अनेकों नीतियों, योजनाओं व कार्यक्रमों को बनाया गया और उन्हें लागू भी किया गया। पांचवीं पंचवर्षीय योजना में मुख्यतः महिला विकास के मुद्दों को जोड़ा गया था। महिलाओं के अधिकारों की रक्षा और कानूनी सुरक्षा के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1990 में एक विधेयक के माध्यम से राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया। उसके पश्चात 1993 में संविधान में संशोधन कर महिलाओं को स्थानीय निकायों में एक तिहाई सीटों पर आरक्षण देकर एक क्रांतिकारी प्रयास किया गया जिससे राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

**राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के प्रवेश से समाज में प्रभावः**

**महिला की शक्ति व दशा में सुधारः** राजनीति में स्त्रियों की सक्रिय भागीदारी से उनकी कार्यक्षमता, आत्मविश्वास व सामाजिक प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी हुई है। घर की चारदीवारी से बाहर निकल कर विभिन्न बैठकों, प्रशासनिक कार्यों में भागीदारिता से उनके सामाजिक नजरिए में परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है।

**सामाजिक प्रतिष्ठा में परिवर्तनः** राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त करने से उनके कार्य करने के तरीकों में परिवर्तन आया है। राजनीतिक क्षेत्र में स्त्रियों के आने से रूढिवादिता सोच पर रोक लगती है। हरियाणा में भिवानी जिले में सबसे पहली महिला पंचायत में चुनकर आई थी जिसने सदियों पुराने पुरुषों की राजनीतिक क्षेत्र में पुरुष वर्ग को चुनौती दी थी। निर्वाचित महिलाओं के द्वारा किए गए कार्यों के कारण समाज में महिलाओं के प्रति नजरिया भी बदला है। जिससे उनके सामाजिक प्रतिष्ठा व सम्मान में वृद्धि हुई है। स्वयं निर्णय-निर्माण की क्षमता का विकास भी हो रहा है। लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि अधिकांश निर्वाचित महिला पदों पर पुरूषों के द्वारा निर्णय लिए जाते हैं।

**राजनीतिक चेतना का विकासः** राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के आने से उनमें राजनीतिक क्षेत्र जानकारी बढ़ी है और महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देना एक क्रांतिकारी कदम साबित हो रहा है जिसे महिलाएं आगे बढ़कर राजनितिक कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। साथ ही लोकतंत्र की नींव भी मजबूत बनती है। मतदान में, चुनावी प्रक्रिया में, पदों पर निर्वाचित भी हो रही हैं। राजनीतिक दलों में सक्रिय रूप से भाग भी ले रही हैं। राजनीति में आने के पश्चात महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में

जानकारी हुई है, समाज में महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अन्याय, अत्याचारों और शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने की हिम्मत बढ़ी है। नारी के संपूर्ण व्यक्तित्व में भी परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी और समाज में सम्मान व प्रतिष्ठा में बढ़ोतरी इसी कारण महिला सशक्तिकरण की अवधारणा सफल हो रही है।

**निर्णय-निर्माण की क्षमता का विकासः** राजनीति में भागीदारी के कारण महिलाओं में निर्णय-निर्माण की क्षमता में भी परिवर्तन आया है। उनकी भगीदारी से विकास के कार्यों में व्यापकता आने की संभावना है। प्रशासन के कामों के नियोजन व क्रियान्वयन में सक्रिय रूप से पहल करती है। राजनीति में इनकी हिस्सेदारी से नारी का समग्र विकास हो रहा है।

**कार्यों की गुणवत्ता में सुधारः** राजनीतिक प्रक्रिया और संस्थानों में महिलाओं के भागीदारी बढ़ने से शासन व प्रशासन की गुणवत्ता में भी सुधार दिख रहा है। शोध अध्ययनों ने यह दर्शाया है कि महिलाओं के नेतृत्व में तुलनात्मक रूप से कम भ्रष्टाचार होता है। महिलाएं महिलाओं से जुडे संबंधित कार्यों को मुख्य रूप से करती है। उनके कार्य निष्पादन करने के तौर-तरीकों में पारदर्शिता, संवेदनशालता और जवाबदेही देखने को मिलती है।

**शिक्षा की शक्ति को पहचाननाः** हां, यह सत्य है कि राजनीति में सहभागिता के कारण महिलाओं ने शिक्षा की शक्ति को भी पहचाना है। शिक्षा के अभाव में उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अशिक्षित होने की वजह से उन्हें बैठकों में हिस्सेदार नहीं बनाया जाता। उनकी जगह सभी कामों को अन्य व्यक्तियों के द्वारा संपादित किया जाता है। वे सिर्फ अंगूठा लगाने तक ही सीमित रह जाती हैं। महिलाओं के द्वारा अब इस सोच में परिवर्तन लाकर महिला शिक्षा की तरफ जोर दे रही हैं।

## सुझावः

राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सबसे अनिवार्य यह है कि महिलाओं को राजनीति क्षेत्र की पूर्ण जानकारी प्रदान की जाए।

महिलाओं को उनके अधिकारों व शक्तियों के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाए। इस तरह की जानकारी प्रदान करने के लिए रूचि रखने वाली महिलाओं के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा सकती है या फिर कैंप आयोजित किए जा सकते हैं।

IJARSCT
International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology
International Open-Access, Double-Blind, Peer-Reviewed, Refereed, Multidisciplinary Online Journal
ISSN: 2581-9429 Volume 6, Issue 1, July 2026 Impact Factor: 8.2

महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने पर बल दिया जाना चाहिए और अपनी निर्णय-निर्माण क्षमता को विकसित करना चाहिए।

सरकारी प्रयासों के अलावा समाज और अन्य संस्थाओं के द्वारा महिलाओं को राजनीति के क्षेत्र में आगे लाने के लिए कार्य करने चाहिए।

समाज के पुरुष वर्ग के द्वारा अपनी संकीर्ण मानसिकता में परिवर्तन करना चाहिए।

**निष्कर्षः**

पंचायती राज व्यवस्था में आरक्षण की व्यवस्था के बाद महिलाओं के जागरूकता के स्तर में परिवर्तन आया है, किंतु यह अभी भी संतोषजनक नहीं है। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में सभी की भागीदारी समान रूप से होनी चाहिए, किंतु यहां भी महिलाएं पीछे की रेखा में खड़ी है। राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सिर्फ समानता के मैदान तक ही सीमित नहीं है बल्कि विकासात्मक लक्ष्य व उनके सामाजिक लक्ष्यों, उनके जागरूकता के स्तर में वृदधि भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। राजनीतिक भागीदारी से नारी वर्ग में आत्मविश्वास, निर्णय-निर्माण में भागीदारी, सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि तथा महिला केंद्रित नीतियों का निर्माण आदि सकारात्मक प्रभाव दिखाई देते हैं। समस्त प्रकार की चुनौतियों व बाधाओं के बावजूद भी महिलाओं की बढ़ती राजनीतिक भागीदारी एक लोकतांत्रिक राष्ट्र में आधी आबाधी को उल्लखनीय योगदान है।

**ग्रन्थसूचीः**

1. सवालिया, बि. व., गुप्ता, & एम.एल.सी. (2005). *महिला जागृति और सशक्तिकरण.* संस्कार पब्लिशर्स जयपुर.
2. योजना जून (2012) *स्त्री सशक्तिकरण* नई दिल्ली.
3. मिश्रा, रं.(2024). महिला सशक्तिकरण के बिना देश का विकास सम्भव नहीं, *प्रतियोगिता दर्पण,*
4. वाशिष्ठ, स.(2010). *महिला सशक्तिकरण* कल्पना. प्रकाशन दिल्ली.
5. प्रसाद, अ., चौधरी कुमार, र. (2016). *नारी सशक्तिकरण राजनीतिक सहभागिता के संदर्भ में.* रीगल पब्लिकेशन्स नई दिल्ली.
6. भारत निर्वाचन आयोग. (2024). *हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024: सांख्यिकीय प्रतिवेदन*. नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग।

7. हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग. (2022). *हरियाणा पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव, 2022: चुनाव परिणाम एवं सांख्यिकीय प्रतिवेदन*. चंडीगढ़: हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग।
8. हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग. (विभिन्न वर्ष). *पंचायती राज चुनाव प्रतिवेदन एवं प्रकाशन*. चंडीगढ़: हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग।
9. पंचायती राज मंत्रालय. (2023–24). *वार्षिक प्रतिवेदन*. नई दिल्ली: भारत सरकार।
10. भारत के रजिस्ट्रार जनरल एवं जनगणना आयुक्त. (2011). *जिला जनगणना पुस्तिका: रोहतक (हरियाणा)*. नई दिल्ली: भारत सरकार।
11. राष्ट्रीय महिला आयोग. (2023). *भारत में महिलाओं का राजनीतिक सशक्तिकरण: स्थिति एवं चुनौतियाँ*. नई दिल्ली।